

जिला विधिक सेवा प्राधिकार

मुजफ्फरपुर

पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

(यह स्वैच्छिक सेवा है, वैतनिक पद नहीं है।)

कौन आवेदन दे सकता है—

ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरुष) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं इनमें शिक्षक (सेवा निवृत्त शिक्षक सहित), सेवा निवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, ऑगनबाडी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति जो स्वयं सेवा में रुचि रखते हैं तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार ठीक समझे। पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक (अधिवक्ता को छोड़कर) भी पुनः आवेदन दे सकते हैं।

पारा विधिक स्वयंसेवक के कार्य

पारा विधिक स्वयंसेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार सौंपे।

पदों की संख्या : 100 (सौ)

रिक्तियों की संख्या बिना पुर्व सूचना के परिवर्तित की जा सकती है। रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास सुरक्षित रहेगा। चूंकि पारा विधिक स्वयंसेवकों से गाँवों के समूह में कार्य लेना है। अतः जिले के सभी क्षेत्रों से पारा विधिक स्वयंसेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा। जिले के बाहर के निवासियों का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जायगा।

आरक्षण

चूंकि पारा विधिक स्वयंसेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है।

शैक्षणिक योग्यता— मैट्रिक (न्युनतम)

मानदेय

रु0 500/— प्रतिदिन। परन्तु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपती है या स्वयंसेवक गाँव से किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या ए0डी0आर0 केन्द्र में ले आता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

सामान्य अनुदेश

- (1) आवेदक भारत का नागरिक हो
- (2) स्वस्थ हो
- (3) अच्छा चरित्र हो
- (4) समाज सेवा में रूचि रखता हो।

अनुलग्नक:

1. आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र (स्वअभिप्रमाणित) लगाकर अधोहस्ताक्षरी के पास पंजीकृत डाक से भेजें।
2. आवेदन के साथ पंजीकृत डाक टिकट (35/रु0) लगा हुआ स्वपता लिखा एक लिफाफा अवश्य भेजें।
3. लिफाफा के उपर मोटे अक्षरों में उस प्रखण्ड का नाम लिखें जहाँ के लिए आवेदन किया हो।
4. आवेदन पत्र के साथ अपना आचरण प्रमाण-पत्र भी आवश्यक रूप से दाखिल करेंगे जो विगत छः माह से पूर्व का न हो
5. साथ ही इस आशय का शपथ-पत्र भी संलग्न करेंगे कि उनके उपर किसी भी प्रकार का कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
6. आधार कार्ड का स्पष्ट छायाप्रति।

(अपूर्ण तथा अस्पष्ट आवेदन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किये जाएँगे)

कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 22.04.2019 संध्या 5 बजे तक।

(डाक के द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने पर कार्यालय की जवाबदेही नहीं होगी)

आवेदन भेजने का पता—

सेवा मे,
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
व्यवहार न्यायालय प्रांगण,
मुजफ्फरपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

(Advt. no. 01/19 (P.L.V))

पारा विधिक स्वयंसेवक के चयन हेतु

आवेदन प्रपत्र

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)
(यह स्वैच्छिक सेवा है, वैतनिक पद नहीं है।)

1. किस प्रखण्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं:

2. आवेदक का नाम :

3. जन्म तिथि :

4. पिता/पति का नाम :

5. स्थायी पता :

6. वर्तमान पता :

7. शैक्षणिक योग्यता :

8. अन्य योग्यता :

9. मोबाईल नं० :

10. आवेदक की श्रेणी : (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/अन्य)।

11. अनुभव यदि कोई हो तो -

तिथि-

स्थान-

आवेदक का हस्ताक्षर

पासपोर्ट साइज
का छायाचित्र
स्वअभिप्रमाणित

